निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1940 (श0)
(सं0 पटना 970) पटना, वृहस्पतिवार, 8 नवम्बर 2018

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, पटना।

अधिसूचना
5 नवम्बर 2018

सं0 2/परी0–01(राज0)–11/2017–2485—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1883 दिनांक 10/10/1961 द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–14393 दिनांक 15/11/2017 द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु दायित्व प्रदान किया गया है। उक्त के आलोक में निर्गत राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या–2/परी0–01(राज0)–11/2017–2931 दिनांक 01.12.2017 एवं अधिसूचना संख्या–1300, दिनांक 29.05.2018 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति ने राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु नये पाठ्यक्रम एवं नई प्रणाली तय की थी। उक्त अधिसूचना के प्रख्यापित होने के पश्चात् कतिपय विभागों ने अपनी सेवाओं को भी विभागीय परीक्षा की परिधि में लाने एवं सेवाओं के पाठ्यक्रम में नये विषयों को जोड़ने का अनुरोध किया गया हैं। उक्त आलोक में निम्नलिखित सेवाएं विभागीय परीक्षा के निमित शामिल की जाती हैं, तथा सेवा संवर्ग वार पर्षदीय अधिसूचना संख्या–2931 दिनांक 01.12.2017 द्वारा पूर्व अधिसूचित विषयों में संशोधन करते हुये विषय एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	सेवा संवर्ग	विषय
1.	बिहार उत्पाद सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. दण्ड विधि विषय कोड–(03) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07) 5. उत्पाद सेवा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (कोड–31)
2.	बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड–01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड–02) 3. लेखा एवं बैकिंग (कोड–06) 4. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड–07)

2 . उक्त आलोक में एक नया विशेष प्रश्न पत्र जोड़ा गया हैं, जिसका पाठ्यक्रम निम्न होगाः–

Syllabus for Special Paper for Bihar Excise Service (Code-31)

(1) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016.
(2) बिहार मद्यनिषेघ और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018.
(3) बिहार छोआ नियंत्रण अधिनियम, 1947.
(4) बिहार छोआ नियंत्रण नियमावली, 1955.
(5) The Narcotic Drugs and Psycotropic Substance Act,1985.
(6) The Medicinal And Toilet Preparations (Excise Duties), Act 1955.
(7) The Medicinal And Toilet Preparations (Excise Duties), Rules 1956.
(8) बिहार नीरा (ताड़ का खमीर मुक्त रस) नियमावली, 2017.
(9) बिहार उत्पाद (महुआ फुल) नियमावली, 2006.
(10) मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से संबंधित मूलभूत जानकारी.
(11) मादक द्रव्य या शराब से संबंधित मूलभूत जानकारी.

3. पर्षदीय अधिसूचना संख्या– 2/परी0–01(राज0)–11/2017–2931 दिनांक 01.12.2017 में निहित अन्य सभी शर्तें उपरोक्त सेवाओं पर भी लागू होगी।

4. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार,
सुरेन्द्र झा,
सचिव, राजस्व पर्षद।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 970-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in